प्रेस विज्ञप्ति

06/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों का 33वां त्रैमासिक सम्मेलन केवड़िया, गुजरात में आयोजित हुआ।

1. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 05 एवं 06 दिसंबर, 2025 को गुजरात के केवड़िया में आंचलिक अधिकारियों का 33वां त्रैमासिक सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दो दिवसीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई और सम्मेलन में सभी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा उप/सहायक विधिक परामर्शदाता उपस्थित रहे।

2. 33वें आंचलिक सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग के माध्यम से जांच के त्वरित निपटान तथा मामलों के प्रभावी निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। आयोजित सत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस, फोरेंसिक उपकरणों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मुक्त स्रोत खुफिया (ओइसआईएनटी) तकनीकों तथा डिजिटल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे साक्ष्य संकलन को सुदृढ़ किया जा सके, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में वृद्धि हो तथा जटिल वित्तीय अपराध मामलों की जांच को शीघ्रता प्रदान की जा सके।

3. सम्मेलन के दौरान, इस तथ्य पर बल दिया गया कि ऐसे उच्च प्रभाव वाले मामलों की पहचान अत्यंत आवश्यक है, जो वित्तीय प्रणाली एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। विचार-विमर्श के दौरान सुदृढ़ साक्ष्य संकलन तंत्र विकसित करने तथा बदलते अपराध स्वरूपों के अनुरूप स्वयं को ढालने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया, विशेषकर धन शोधन, मानव तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उल्लंघन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) के दुरुपयोग तथा विदेशी धन प्रेषण के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग जैसे अपराधों के विभिन्न स्वरूपों पर भी चर्चा की गई।

4. एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भगोड़े आरोपियों की निगरानी एवं जांच अथवा विचारण से भागने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को सुदृढ़ करने से संबंधित रहा। इस संदर्भ में उद्घोषित अपराधी कार्यवाही, भगोड़ा आर्थिक अपराधी उद्घोषणा, रेड नोटिस तथा प्रत्यर्पण प्रक्रिया जैसे विधिक उपायों के प्रभावी एवं उत्पादक उपयोग पर प्रकाश डाला गया। वित्तीय अपराधों की जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों के मध्य समयबद्ध संप्रेषण एवं समन्वय सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तन और व्यक्तिगत अधिकारों के मध्य संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया।

5. पूर्ववर्ती त्रैमासिक सम्मेलन में हुई चर्चाओं की निरंतरता में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों, विशेष रूप से प्रवर्तन निदेशालय से परामर्श उपरांत भारत के दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा जारी किए गए नवीनतम परिपत्र के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया। कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति अधिग्रहण, ऋणदाताओं की समिति की संरचना में हेरफेर तथा अघोषित लाभ लेनदेन जैसे माध्यमों से दिवाला संहिता के दुरुपयोग की विविध प्रवृत्तियों का समाधान किए जाने को रेखांकित किया गया। अवमूल्यित परिसंपत्ति बिक्री तथा मतदान प्रक्रियाओं में संबंधित पक्षों की संलिप्तता से जुड़े विशिष्ट मामलों पर भी चर्चा की गई। निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन की गहन जांच तथा दिवाला संहिता के प्रावधानों के कठोर प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया।

6. जब्त एवं अधिहृत परिसंपत्तियों की पारदर्शी एवं कुशल नीलामी तथा निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु बांकनेट (बीएएएनकेएनईटी) मंच पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। परिसंपत्तियों के निस्तारण के लिए इसके उपयोग को समझौता-ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान करने की संभावना पर भी विचार किया गया।

7. सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई—

- **प्रौद्योगिकी आधारित जांच**: जैसा कि त्वरित जाँच के विषय में पूर्व में उल्लेख किया गया है, डिजिटल उपकरणों तथा फॉरेंसिक सॉफ़्टवेयर, जिनमें साइबर फॉरेंसिक उपकरण भी सम्मिलित हैं, के उपयोग तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया।"

- **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णय**: पूर्ववर्ती सम्मेलन के अनुरूप लंबित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित जाँच को दोहराया गया तथा विभिन्न मंचों पर लंबित ऐसे सभी मामलों के संपूर्ण निस्तारण पर जोड़ दिया गया।
- **अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों पर कार्रवाई:** विधेय अपराध के रूप में काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में अंतर्निहित प्रभावों तथा आयकर विभाग के साथ बेहतर समन्वय द्वारा ऐसे मामलों से निपटने पर चर्चा की गई।
- **प्रशासनिक विषय:** क्षेत्र कार्यालयों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती, वाहनों का आवंटन, सहायक विधिक परामर्शदाताओं की भर्ती तथा अन्य प्रशासनिक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

8. सम्मेलन का समापन अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने, भविष्य के लिए सक्रिय रणनीतियां अपनाने तथा धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों एवं अन्य आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कानूनों को कठोरता से लागू करने की प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किया गया।